



क्रमांक 416 / स्था. / 2023-24

कोहका, दिनांक 29/09/2023

--: तिज्ञप्ति :-

## रिक्त शिक्षाकीय पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 504/126/आ.उ.शि./राज.स्था./2023 नवा रायपुर, दिनांक 10.07.2023 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) के सेवा त्याग के कारण महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक-वाणिज्य में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जानी है :-

क्र.	विषय	पद संख्या	रिमार्क
1.	वाणिज्य	01	प्राध्यापक पद विरुद्ध

## शैक्षणिक योग्यता :-

- संबंधित विषय में स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत (अ.जा/अ.ज.जा. हेतु 50 प्रतिशत) अंकों के साथ।
- संबंधित विषय में नेट/स्लेट, पी-एच.डी., एम.फिल. उपाधि धारक को प्राथमिकता दी जायेगी।

## मानदेय :-

चयनित आवेदक को प्रति कालखण्ड रु.300/- की दर से भुगतान किया जावेगा जो प्रतिदिन रु.1200/- अथवा रु.31200/- प्रतिमाह सीलिंग के अधीन मानदेय की पात्रता होगी।

## टीप :-

- अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी व्यवस्था का पालन करते हुए मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
- लोक सेवा आयोग से नियुक्ति/स्थानांतरण/शासन के आगामी आदेश/संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- अतिथि व्याख्याता को चयनित होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न होना तथा किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में अध्यापन न करने का वचन देना होगा।
- इस प्रयोजन हेतु कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक (Preferential Treatment) बर्ताव के हकदार होंगे।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन (बायोडेटा) प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित कार्यालय में दिनांक 09.10.2023 अपराह्न 04:00 बजे तक स्वयं अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. आर.डी. दीवान)

/c Principal

प्रभारी प्राचार्य  
S.N.A. Govt. Arts & Commerce College  
Kohka, Neera Dist. Raipur (C.G.)  
कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)